

Court of Arun
 Tegha
 Bachhwar P.S. 116/2015
 Cr.No. 2543/2015

02.09.24

कुम धा अभियुक्त ने ही तीन अभियुक्तों
 की ओर से अर्पित पत्र चिपा माते
 शेष 23 अभियुक्त अज्ञात
 का कुमारी दुधा सुविधा, आरु चंचल राय
 कर्माती : प्रॉड-9 लक्ष्मी (कौशिकराय) काप
 मूल्य प्रतिवेदन मागिस चिपा माते ही विव
 कथितवका का वचन है कि अभियुक्त अज्ञात
 की मूल्य रिमांड 04 फरवरी 2021 को ही
 गयी है। इनके विरुद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही
 बंद कर दी गया।

कुमारा चार्ज की अभियुक्त
 अज्ञात कर्माती की मूल्य ही जाने के माता उनके
 विरुद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही बंद की
 गयी है।

अरु प्रमुख वादों कुम तीन अभियुक्तों
 का विचारण लम होये प्रतिवेदन के विव
 कथितवका की सुनिह कागलम की मागिस कीगयी।
 रिमांड 11.9.24 वाद कुमारी एवं मापले काप

मापले कुमारी काप

one accused
 Arun Mahto
 has died
 a report
 has filed on
 behalf of
 accused
 issued by
 Mukhiya
 Gram Panch
 Rudauli
 All proceedings
 are dropped
 against
 Arun Mahto
 due to his
 death.
 Now only
 03 accused
 fixed for
 charge.

02/09/2024

Copy received
 Poojit K. B. S.
 02/09/24
 40W

In the Court of ACJM, Teghra

Case No. GR 2543/2015

Bachhwara P.S. Case No. 116/2015

राज्य Vs. अर्जुन महतो व अ-थ

Order S. No.	Date of Order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	<p><u>11.09.24</u></p>	<p>कुल तीनो अभियुक्तगण को कोर्ट के अधीन में रिपा गया है। आरोप पर मापपत्र का हुआ गया। अभियुक्तों का मापपत्रक किया। अक्सर से प्रतीत होता है कि तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त ① अर्जुन महतो ② अक्षय महतो एवं ③ मनोज महतो के विरुद्ध धारा-341, 323, 324/34 मापपत्रक के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया जिसका जांचका रिपोर्ट में पर्याप्त अभियुक्तगण को हुआ रिपा गया जिसे के द्वारा सतत लेने के पश्चात् आरोपों का आन्वेषण कार्य है। एवं वाद-विचारण का डाया प्रारंभ है।</p> <p>दिनांक <u>16.12.24</u>, वाद नाला।</p> <p>प्राप्तियुक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत निम्न की।</p> <p><u>अक्षय महतो</u></p>	<p>Charge explained 11/09/2024</p>